न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 03/2025
3. उनवान : सरकार जरिये श्री अवधेश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

1. श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री सुआ लाल यादव (विक्रेता) (जाति अहीर)
मैसर्स – रिद्धी सिद्धि किराना स्टोर, अंबेडकर कॉलोनी व रोडवेज स्टैंड के पास, बासडी रोड, किसनगढ़ रेनवाल, थाना किशनगढ रेनवाल, जिला–जयपुर, पिनकोड 303603
निवासी अहीरों की ढाणी, वार्ड नंबर 17 पचार रोड, किशनगढ़ रेनवाल, थाना– किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर, पिनकोड 303603. मोबाइल नंबर 8003321088
2. श्रीमति मंजू देवी धर्मपत्नी अजय कुमार यादव (फर्म की लाईसेंस होल्डर मालिक) (जाति अहीर)
मैसर्स – रिद्धी सिद्धि किराणा स्टोर, अंबेडकर कॉलोनी व रोडवेज स्टैंड के पास, बासडी रोड, किशनगढ़ रेनवाल, थाना किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर, पिनकोड 303603
निवासी – मोहनपुरा बालाजी के पास, वार्ड नंबर 10, किशनगड रेनवाल, थाना–किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर–303603. मोबाइल नंबर 8003321088

–अभियुक्तगण

4. निर्णय दिनांक : 16.4.25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51, 54 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक अवधेश गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय दिनांक 22–04–2024 को समय दोपहर 5.00 पी.एम. मैसर्स मैसर्स–रिद्धी सिद्धि किराणा स्टोर, अंबेडकर कॉलोनी व रोडवेज स्टैंड के पास, बासडी रोड, किशनगढ रेनवाल, थाना – किशनगढ रेनवाल, जिला–जयपुर, पिनकोड 303603 के यहां पहुंचे। वहां पर अजय कुमार यादव पुत्र श्री सुवा लाल यादव उपस्थित थे तथा पूछने पर स्वयं को इस फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। अजय कुमार यादव को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अजय कुमार यादव से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान लोटस घी 15 किग्रा. क्षमता के पन्द्रह टिन रखे हुये पाये गए। जिसमें गुणवत्ता की कमी का अंदेशा होने पर एक 15 किग्रा. सील पैक्ड टिन की सील खोलकर 800 ग्राम घी विक्रेता अजय कुमार यादव से खरीद कर उसकी कीमत

अतिरिक्त कलक्टर एवं

रुपए 436/– रुपये विक्रेता श्री अजय कुमार यादव को नगद प्रदान करके रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री रामकिशन यादव एवं नंदकिशोर कुमावत के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अजय कुमार यादव ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता अजय कुमार यादव को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम लोटस घी को homogeneous कर चार अलग–2 सूखी स्ट्रलाईज्ड प्लास्टिक की बोतल में बराबर–2 प्रति बोतल में बराबर 200 ग्राम घी डाला एवं प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बंद किया गया तथा 4 लेवल तैयार कर प्रत्येक बोतल कर चिपकाए और लेबलों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय द्वारा दिए कोड एवं क्रमांक AN4035 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए तथा फ़र्म के विक्रेता व दोनों गवाहों के हस्ताक्षर करवाए। फिर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप AN4035 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर, नियमानुमार ब्रास सील अंकित करते हुये चपड़ी से सील किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाए कि पेपर स्लीप व रैपर दोनों पर अंकन आए। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किए तथा चारों नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फॉर्म नं. 6 की सात प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना मील लगाई जिसने नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग में फॉर्म नं. 6 की एक प्रति की आउटर कवर में सील बद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर की जमा करा कर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म नबर 6 की प्रति अलग ने एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय को जमा कराकर प्रत्येक भाग की रसीदें प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/422 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या–एलएस/1474/एक्ट/2024/1621 दिनांक 29.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जांच वास्ते बिक्री किया गया खाद्य पदार्थ घी (लोटस ब्रांड) सब–स्टैंडर्ड तथा Contravenes regulation no 2.3.7(2) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस मामले की समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष दिनांक 14.02.2025 को प्रस्तुत की गई, जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय ने पत्र क्रमांक –एफ.एस.एस.ए./2025/249 दिनांक 14.02.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा सब–स्टैंडर्ड तथा Contravenes regulation no 2.3.7(2) due to presence of foreign fat युक्त घी (लोटस ब्रांड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) का उल्लंघन किया गया है जिनका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की क्रमशः धारा 51 एवं धारा 54 में निर्धारित है।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 09.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब एवं लिखित बहस पेश की जिसमें अंकित है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा हाल ही में उक्त दुकान संचालित की गई है तथा उक्त घी की खरीद उनके द्वारा कच्ची रसीद से की गई है। प्रार्थी को उक्त घी की गुणवत्ता की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी की छोटी सी दुकान है, प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। इसी दुकान से प्रार्थी के परिवार का गुजारा होता है। जानकारी के अभाव में प्रार्थी से हुई गलती भविष्य में नहीं दोहराई जायेगी। उक्त प्रार्थना पत्र को ही जवाब एवं लिखित बहस मानते हुये प्रार्थीगण ने क्षमा करने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या–एलएस/1474/एक्ट/2024/1621 दिनांक 29.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जांच वास्ते बिक्री किया गया खाद्य पदार्थ घी (लोटस ब्रांड) सब–स्टैंडर्ड तथा Contravenes regulation no 2.3.7(2) होना पाया गया। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया गया है जिनको खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की स्पष्ट: धारा 51 एवं धारा 54 में निर्धारित जुर्माना से दण्डित किया जावे।

हमने आवेदन पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया। प्रार्थी पैरोकार की बहस व अप्रार्थीगण के जवाब/बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या–एलएस/1474/एक्ट/2024/1621 दिनांक 29.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा नमूना जांच वास्ते बिक्री किया गया खाद्य पदार्थ घी (लोटस ब्रांड) सब–स्टैंडर्ड तथा Contravenes regulation no 2.3.7(2) होना पाया गया। जिससे सुस्पष्ट है कि सब–स्टेण्डर्ड घी का क्रय करके विक्रय किया गया, जिसके लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्तगण द्वारा सब–स्टेण्डर्ड घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 54 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 51 व 54 के तहत दोनों अभियुक्तों पर पृथक–पृथक 5,000–5,000 रुपये शास्ति राशि आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.4.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट